

ई-राजभाषा

अनुक्रमणिका | अंक – बारहवां | अप्रैल -जून, 2015

1. राजभाषा संबंधी विशेष उपलब्धियां
2. संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के निरीक्षण के दृश्य
3. मोहनदास करमचन्द गांधी
4. डिजीटल इंडिया की परिकल्पना
5. रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 120वीं बैठक के दृश्य
6. लालबहादुर शास्त्री
7. डेंगू - लक्ष्ण एवं बचाव
8. रेल का दर्द तथा रेलवे को समर्पित कुछ पंक्तियां
9. राजभाषा पखवाड़ा- 2015
10. राजभाषा पखवाड़ा- 2015 के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दृश्य
11. रेल अंचलों में राजभाषा से संबंधित गतिविधियां

पता : राजभाषा निदेशालय,
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),
कमरा नं.544,
रेल भवन, रेलवे बोर्ड
नई दिल्ली - 110001.
Email : dol@rb.railnet.gov.in

संरक्षक
ए.के. मित्तल
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
प्रदीप कुमार
सदस्य कार्मिक

प्रधान संपादक
रागिनी यचुरी
कार्यपालक निदेशक (औ.सं.)

संपादक
के.पी. सत्यानंदन
निदेशक,राजभाषा

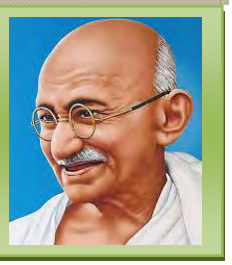
उप संपादक
नीरू पटनी
उप निदेशक,राजभाषा

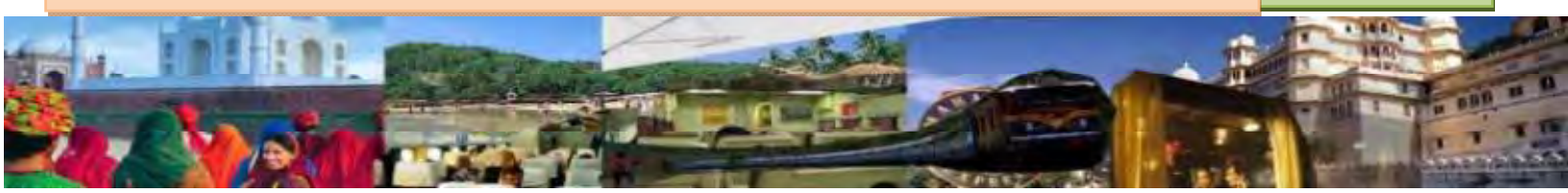
सह संपादक
अमरीक लाल
अनुभाग अधिकारी, राजभाषा

तकनीकी सहयोग
शिव चरण गौड़, वरिष्ठ अनुवादक
गौरव कालरा, कनिष्ठ अनुवादक

ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो,
ऐसे सीखो की तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो.

- महात्मा गांधी







राजभाषा संबंधी विशेष उपलब्धियां



14 सितंबर, 2015 को हिंदी दिवस समारोह 2015 में माननीय राष्ट्रपति जी से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष रेलवे बोर्ड



हिंदी दिवस समारोह 2015 में माननीय राष्ट्रपति जी से पुस्तक लेखन में पुरस्कार ग्रहण करते हुए रेलवे बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री प्रेमपाल शर्मा



हिंदी दिवस समारोह 2015 में माननीय राष्ट्रपति जी से हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार ग्रहण करते हुए रेलवे कर्मचारी श्री अर्जुन प्रसाद





संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा पश्चिम रेलवे एवं राइट्स, मुंबई कार्यालय के निरीक्षण के दृश्य









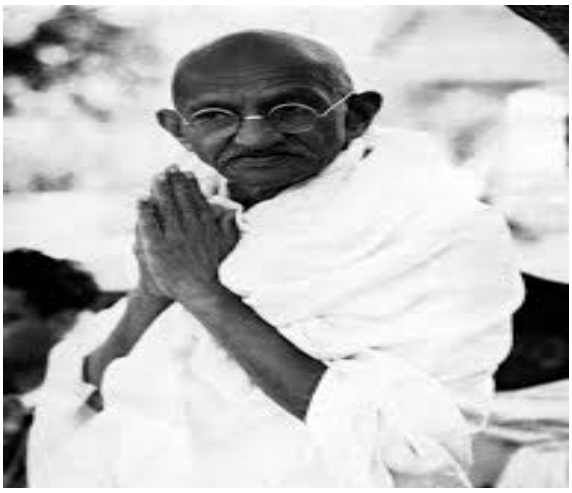


मोहनदास करमचन्द गांधी

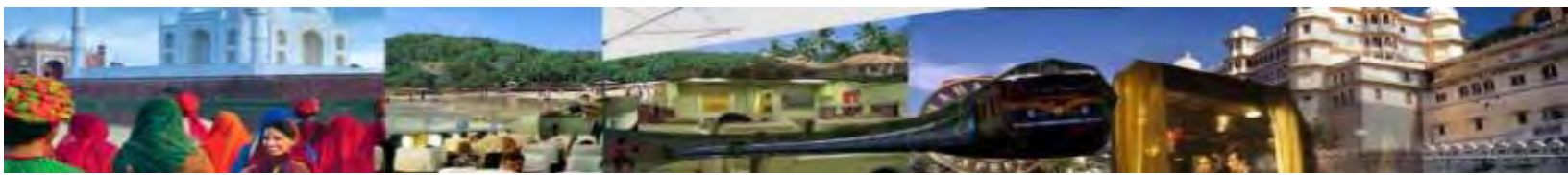
(2 अक्टूबर 1869 - 30 जनवरी 1948)

भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह (व्यापक सविनय अवज्ञा) के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे, उनकी इस अवधारणा की नींव सम्पूर्ण अहिंसा के सिद्धान्त पर रखी गयी थी जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के प्रति आन्दोलन के लिये प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता **महात्मा गांधी** के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। सुभाष चन्द्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्बोधित करते हुए आज़ाद हिन्द फौज़ के सैनिकों के लिये उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ माँगीं थीं। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है।





सबसे पहले गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिये संघर्ष हेतु रोजगार करना शुरू किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिये एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देशभर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिये अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाये। इन सबमें विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाये गये नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजो भारत छोड़ो आन्दोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा।





गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिये वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परम्परागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत कातकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिये लम्बे-लम्बे उपवास रखे।



प्रारम्भिक जीवन

मोहनदास करमचन्द गान्धी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन् 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचन्द गांधी सनातन धर्म की **पंसारी** जाति से सम्बन्ध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत (पोरबंदर) के दीवान अर्थात् प्रधानमन्त्री थे. उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थीं। पुतलीबाई करमचन्द की चौथी पत्नी थी। उनकी पहली तीन पत्नियाँ प्रसव के समय मर गयीं थीं। भक्ति करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परम्पराओं के कारण युवा मोहनदास पर वे प्रभाव प्रारम्भ में ही पड़ गये थे जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन प्रभावों में शामिल थे दुर्बलों में जोश की भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिये उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता।

कम आयु में विवाह

मई 1883 में साढे 13 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा माखनजी से कर दिया गया। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उसे लोग प्यार से बा कहते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था। लेकिन उस क्षेत्र में यही रीति थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली सन्तान ने जन्म लिया। लेकिन वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही। और इसी साल उनके पिता करमचन्द गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा के चार सन्तान हुईं जो सभी पुत्र थे। हरीलाल गान्धी 1888 में, मणिलाल गान्धी 1892 में, रामदास गान्धी 1897 में और देवदास गांधी 1900 में जन्मे। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर वह एक औसत छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के शामलदास कॉलेज से कुछ परेशानी के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहाँ रहे अप्रसन्न ही रहे क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था।





विदेश में शिक्षा व विदेश में ही वकालत

अपने 19वें जन्मदिन से लगभग एक महीने पहले ही 4 सितम्बर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लन्दन में कानून की पढाई करने और बैरिस्टर बनने के लिये इंग्लैंड चले गये। भारत छोड़ते समय जैन भिक्षु बेचारजी के समक्ष हिन्दुओं को मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा को त्यागने के लिए अपनी अपनी माता जी को दिए गये एक वचन ने उनके शाही राजधानी लंदन में बिताये गये समय को काफी प्रभावित किया।

इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वे भारत लौट आये किन्तु बम्बई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिये जाने पर उन्होंने जरूरतमन्दों के लिये मुकदमे की अर्जियाँ लिखने के लिये राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया। परन्तु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने बड़े भाई की ओर से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया है। यही वह कारण था जिस वजह से उन्होंने सन् 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटाल दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, एक वर्ष के करार पर वकालत का कारोवार स्वीकार कर लिया।



दक्षिण अफ्रीका (१८९३-१९१४) में नागरिक अधिकारों के आंदोलन

दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरम्भ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इन्कार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अन्दर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएँ गांधी के जीवन में एक मोड़ बन गईं और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरुकता का कारण बनीं तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुईं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष (१९१६ - १९४५)

१९१५ में, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौट आएं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन वे भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले (Gopal Krishna Gokhale), जो एक सम्मानित नेता थे पर ही आधारित थे।





असहयोग आंदोलन

गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ़ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फोजों द्वारा भारतीयों पर जलियावाला नरसंहार जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है ने देश को भारी आघात पहुंचाया जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा प्रतिकारात्मक रवैया दोनों की की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध के बाद दंगों की भर्त्सना की। गांधी जी के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराई को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। किंतु ऐसा इस नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार और भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर केंद्रित था जो जल्दी ही स्वराज अथवा संपूर्ण व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं राजनैतिक आजादी में बदलने वाला था।

स्वराज और नमक सत्याग्रह (नमक मार्च)

गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और १९२० की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ते रहे। उन्होंने पहले १९२८ में लौटे .एक साल पहले अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था।

इसका परिणाम भारतीय राजनैतिक दलों द्वारा बहिष्कार निकला। दिसम्बर १९२८ में गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था अथवा ऐसा न करने के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहें। गांधी जी ने न केवल युवा वर्ग सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहर लाल नेहरू जैसे पुरूषों द्वारा तत्काल आजादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया बल्कि अपनी स्वयं की मांग को दो साल की बजाए एक साल के लिए रोक दिया। अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। ३१ दिसम्बर १९२९, को लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया था। २६ जनवरी १९३० का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। यह दिन लगभग प्रत्येक भारतीय संगठनों द्वारा भी मनाया गया। इसके बाद गांधी जी ने मार्च १९३० में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह आंदोलन चलाया जिसे १२ मार्च से ६ अप्रैल तक नमक आंदोलन के याद में ४०० किलोमीटर तक का सफर अहमदाबाद से दांडी, गुजरात तक चलाया गया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों ने ८०,००० से अधिक लोगों को जेल भेजा।

द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन

द्वितीय विश्व युद्ध १९३९ में, गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रयासों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने का पक्ष लिया किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना इसमें एकतरफा शामिल किए जाने का विरोध किया।





कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लंबी चर्चा के बाद, गांधी ने घोषणा की कि जब स्वयं भारत को आजादी से इंकार किया गया हो तब लोकतांत्रिक आजादी के लिए बाहर से लड़ने पर भारत किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगी। जैसे जैसे युद्ध बढता गया गांधी जी ने आजादी के लिए अपनी मांग को अंग्रेजों को भारत छोड़ो आन्दोलन नामक विधेयक देकर तीव्र कर दिया। यह गांधी तथा कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था जो भारतीय सीमा से अंग्रेजों को खदेड़ने पर लक्षित था।

गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारणी समिति के सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा मुबंई में ९ अगस्त १९४२ को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगां खां महल में दो साल तक बंदी बनाकर रखा गया। यही वह समय था जब गांधी जी को उनके निजी जीवन में दो गहरे आघात लगे। उनका ५० साल पुराना सचिव महादेव देसाई ६ दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मर गए और गांधी जी के १८ महीने जेल में रहने के बाद २२ फरवरी १९४४ को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। इसके छ: सप्ताह बाद गांधी जी को भी मलेरिया का भयंकर शिकार होना पड़ा। उनके खराब स्वास्थ्य और जरूरी उपचार के कारण ६ मई १९४४ को युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। अंग्रेज उन्हें जेल में दम तोड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे जिससे देश का क्रोध बढ़ जाए। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्य में आशिंक सफलता ही मिली लेकिन आंदोलन के निष्ठुर दमन ने १९४३ के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। युद्ध के अंत में, ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सोंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग १००,००० राजनैतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया।

स्वतंत्रता और भारत का विभाजन

गांधी जी ने १९४६ में कांग्रेस को ब्रिटिश केबिनेट मिशन (British Cabinet Mission) के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया क्योकि उसे मुस्लिम बाहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित समूहीकरण के प्रति उनका गहन संदेह होना था इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से यह भी एक घटना बनी (हालांकि उसके नेत्त्व के कारण नहीं) चूंकि नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। १९४८ के बीच लगभग ५००० से भी अधिक लोगों को हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग-अलग देशों में विभाजित कर दे। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदुओं और सिक्खों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बंटवारे के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त मुहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेताओं ने, पश्चिम पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी बंगाल में व्यापक सहयोग का परिचय दिया। व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदु मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। कांगेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बढ़ना असंभव था चूंकि पार्टी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी। गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है। मज़बूर गांधी ने अपनी अनमति दे दी।





जब यह मांग उठने लगी कि सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा जाए और मुस्लिमों और हिंदु नेताओं ने इस पर असंतोष व्यक्त किया और एक दूसरे के साथ समझौता करने से मना करने से गांधी जी को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन आरंभ किया जिसमें साम्प्रदायिक हिंसा को सभी के लिए तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रु. का भुगतान करने के लिए कहा गया था। गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। उन्हें आगे भी डर था कि हिंदु और मुस्लिम अपनी शत्रुता को फिर से नया कर देंगे और उससे नागरिक युद्ध हो जाने की आशंका बन सकती है। जीवन भर गांधी जी का साथ देने वाले सहयोगियों के साथ भावुक बहस के बाद गांधी जी ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया और सरकार को अपनी नीति पर अडिग रहना पड़ा तथा पाकिस्तान को भुगतान कर दिया। हिंदु मुस्लिम और सिक्ख समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भुला कर शांति लाएंगे। इन समुदायों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा शामिल थे। इस प्रकार गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया।





हत्या

३० जनवरी, १९४८, गांधी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिड़ला भवन (बिरला हाउस के मैदान में चहलकदमी कर रहे थे। गांधी का हत्यारा नाथूराम गौड़से हिन्दू राष्ट्रवादी था जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोड़से और उसके उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा १५ नवंबर १९४९ को इन्हें फांसी दे दी गई। राजधाट, नई दिल्ली, में गांधी जी के स्मारक पर "देवनागरी में हे राम " लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले ये अंतिम शब्द थे। गांधी जी की राख को एक अस्थि- कलश रख दिया गया और उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में ले जाया गया। इनमें से अधिकांश को इलाहाबाद के संगम पर १२ फरवरी १९४८ को जल में विसर्जित कर दिया गया किंतु कुछ को अलग पवित्र रूप में रख दिया गया। १९९७ में, तुषार गाँधी ने एक अस्थि-कलश की कुछ सामग्री को अदालत के माध्यम से, इलाहाबाद में संगम नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया।





डिजीटल इंडिया की परिकल्पना

पुरस्कृत निबंध

मोदी सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक डिजीटल इंडिया कार्यक्रम एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों को देश की आम जनता से सीधे जोड़ना है. डिजीटल इंडिया का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को ज्ञान की अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज को ज्ञान के समाज में तब्दील करना है. डिजीटल इंडिया का आधार है इंटरनेट से जनता को जोड़कर उसे ई-प्रशासन की सुविधाएं और सूचनाएं प्रदान करना. डिजीटल इंडिया के नौ स्तम्भ हैं जो उसे एक विशिष्ट रूप से खड़ा करते हैं – ब्रॉडबैंड हाइवेज, सर्वत्र सुलभ मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट का स्वतंत्र रूप से प्रयोग, ई-गवर्नेंस, ई-क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रोजगार को सुलभ बनाना, अर्लीहार्वेट कार्यक्रम.

केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2015 से शुरू हुए डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश की आम जनता को ई-बैंकिंग, ई-प्रशासन, ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा से जोड़ने की योजना है. सरकार लोगों को सुविधाएं और सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध कराकर समय व दूरी की बचत करना चाहती है.

वर्तमान समय में भारत एक विकासशील देश हैं किंतु अभी भी विकसित देशों की तुलना में पीछे है. देश को विकास की गति देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की परिकल्पना पहले कभी नहीं की गई थी. आज यदि डिजीटल इंडिया कार्यक्रम देश में सफल होता है तो वह विकसित देशों के काफी निकट हो जाएगा.

लक्ष्य एवं कार्य योजना –

केंद्रीय इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना मंत्रालय ने देश के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के साथ मिलकर डिजीटल इंडिया कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है. इसके तीन घटक हैं –

1.डिजीटल सेवाओं का ढांचा तैयार करना.
2. सरकारी सेवाओं को इलैक्ट्रोनिक उपकरणों द्वारा उपलब्ध कराना
3. रोजगार का डिजीटल सशक्तिकरण

सरकार ने जिन तीन प्रमुख घटकों को केन्द्र में रखते हुए डिजीटल इंडिया कार्यक्रम की योजना बनाई है वे इसके सफल होने में महत्वपूर्ण इकाई हैं –

पहला – सरकार को डिजीटल सेवाओं का ढांचा तैयार करना है जिससे लोग इंटरनेट का सर्वत्र प्रयोग कर सकें.

दूसरा – सरकारी सेवाओं को स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराकर समय व दूरी की बचत संभव है.

तीसरा – सरकार ने डिजीटल इंडिया कार्यक्रम में रोजगार का डिजीटल सशक्तिकरण भी एक मुख्य बिंदु के रूप में रखा है.

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम केवल सरकारी सुविधाएं और प्रशासनिक सूचनाओं से ही नहीं जुड़ी अपितु इससे विद्यार्थी, युवा घरेलू महिलाएं भी लाभ उठा सकेंगी. अभी कुछ समय पूर्व ही फेसबुक, एक मशहूर और सर्वाधिक प्रयोग होने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने भारत के दौरे के समय कहा था–

'अभी भारत की केवल 23 करोड़ जनता ही इंटरनेट से जुड़ी है. एक करोड़ जनता अगर इंटरनेट से जुड़ती है तो देश की तरफ अन्य देशों का रुझान स्वत: ही खिंचेगा.'





यद्यपि हो सकता है कि उनकी ये पंक्तियां उनके व्यापार के लिए कही गई हों किंतु ये काफी हद तक व्यावहारिक भी है. यदि देश की बाकी एक करोड़ जनता भी इंटरनेट से जुड़ती है तो परिणाम अवश्य ही विस्मयकारी होंगे. ये कल्पना मात्र ही रोमांचित कर देती है. सरकार ने 2017 तक 2.5 लाख लोगों को इंटरनेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है वहीं इससे दुगने विद्यालयों को वाई-फाई युक्त बनाने की उनकी योजना है. केवल लोगों को इंटरनेट से जोड़ना और ई-प्रशासन व ई-क्रांति को लागू करने का एकमात्र लक्ष्य नहीं है बल्कि ई-शिक्षा भी डिजीटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण बिंदु है. सरकार लोगों को सामान्य फोन प्रयोग करने के बजाए स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है जिससे स्मार्टफोन आसानी से उन्हें सूचनाएं उपलब्ध करा सकें.

इलैक्ट्रोनिक्स उपकरणों के लिए सरकार आयात पर निर्भर रहती है. इस कार्यक्रम में सरकार देश की आयात दर को शून्य करना चाहती है. 2020 तक इलैक्ट्रोनिक्स उपकरणों को देश में ही निर्माण करने का सरकार का लक्ष्य है.

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के नौ स्तम्भ

सरकार की प्राथमिक योजनाओं को जोड़ने वाले इस डिजीटल इंडिया के ये नौ स्तम्भ हैं जो इस कार्यक्रम को मूल रूप प्रदान करते हैं. डिजीटल इंडिया को सफल बनाने के लिए सरकार को इन सभी स्तम्भों पर कार्य करना है.

1.ब्रॉडबैंड हाइवेज- इस स्तम्भ के अंतर्गत राजमार्ग की तर्ज पर देश को इंटरनेट से जोड़ना है.

2.सर्वत्र मोबाइल कनेक्टिविटी – सरकार सभी को स्मार्टफोन से जोड़ने की तैयारी में है. सामान्य फोन की अपेक्षा स्मार्टफोन सरकारी सुविधाओं और प्रशासनिक सूचनाओं को सरलता से उपलब्ध करा सकते हैं.

3.इंटरनेट का सर्वत्र स्वतंत्र प्रयोग – सरकार देश के हर घर को इंटरनेट से जोड़ना चाहती है जिसके लिए वाई-फाई और हॉटस्पाट इस स्तम्भ का केन्द्र है.

4.ई-प्रशासन -सरकारी विभागों में पहले से ही इंटरनेट उपलब्ध है फिर भी लोग पूरी तरह डिजीटल नहीं हुए थे. अब सरकार डिजीटल कार्यक्रम के तहत सरकारी दस्तावेजों को ऑनलाइन कर सरकारी विभागों को पूर्ण रूप से डिजीटल करना चाहती है.

5.ई- क्रांति – इंटरनेट का सर्वत्र प्रयोग ई-क्रांति को जन्म देगा. आम जनता अपने कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे. विद्यार्थी ऑनलाइन ज्ञान अर्जन कर सकेंगे.

6.सूचना प्रौद्योगिकी - सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा स्तम्भ है जो सरकारी योजना एवं सुविधा को इंटरनेट के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएगा.

7. इलैक्ट्रोनिक्स विनिर्माण – सरकार देश की आयात दर को शून्य करने के लिए इलैक्ट्रोनिक्स उपकरणों का निर्माण अपने देश में ही करेगी.

8. रोजगार को सुलभ बनाना – सरकार की ये योजना 18 लाख रोजगार प्रदान करेगी. संभवत: आने वाले समय में इसके सफल परिणामों के आंकड़ों के साथ ही ये आंकड़ा भी बढ़ेगा.

9. अर्ली हार्वेट कार्यक्रम – सरकार इस कार्यक्रम में कई नई योजनाओं को जोड़ रही है जैसे ई-अस्पताल.

इलैक्ट्रोनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में अगर ये कार्यक्रम सफल हुआ तो ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी साबित होगा, इसमें आश्चर्य नहीं.

डिजीटल इंडिया की परिकल्पना

यद्यपि इससे पूर्व देश की सरकारी योजनाओं, सुविधाओ, सेवाओं से आम जनता को इस तरह जोड़ने की परिकल्पना भी नहीं की गई थी. मगर अब जब वर्तमान केन्द्र सरकार ने देश को विकास के





क्षेत्र में तीव्रगति देने के लिए ये कार्यक्रम पेश किया है तो ये न केवल सराहनीय है अपितु सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आगे आना चाहिए. सरकार ने इस कार्यक्रम पर व्यय कुल 4.5 लाख करोड़ रु. माना था जिसमें एक लाख 13 हजार करोड़ रुपए केन्द्र सरकार व्यय करेगी. रिलायंस इस पर 325 लाख करोड़ रु. निवेश करेगी. डिजीटल इंडिया परिकल्पना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं जो इसके सफल होने की पूरी पूरी उम्मीद जताते हैं –

1.डिजीटल तिजोरी - डिजीटल तिजोरी इंटरनेट पर उपलब्ध अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड रखने का एक प्रोग्राम है. जिससे उसके हार्डकापी रखने से बचा जा सकेगा. जरूरत पड़ने पर कभी भी इसका सरलता से प्रयोग किया जा सकता है.

2.ई-बैग की सुविधा - ई-बैग की सुविधा से तात्पर्य विद्यार्थियों को भारी किताबों को साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे अपनी जरूरत की किताबों को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर ई-बैग अपने साथ रख सकते हैं.

3. ई-अस्पताल – देश के किसी भी कोने में रहकर आम जन अस्पताल में नंबर लगा व रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. डॉक्टर की सलाह भी ऑनलाइन ही ली जा सकेगी.

4.स्कॉलरशिप पोर्टल – इस पोर्टल के जरिए विद्यार्थी स्वयं अपना फार्म भरकर स्वयं के खाते में ऑनलाइन पैसा प्राप्त कर सकेंगे.

5. स्वच्छ भारत मिशन एप्लीकेशन एप – इस एप के जरिए आप किसी भी भ्रष्टाचारी की करतूत को ऑनलाइन सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं.

6.वाई-फाई सुविधा – सरकार देश के हर कोने में लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वाई-फाई सुविधा देगी जिससे ग्रामीण लोग भी इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे.

7.ई-गवर्नेंस - ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं को और सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाना चाहती है.

8. हॉट-स्पॉट सुविधा – वर्तमान समय में बीएसएनएल के 50 हॉट स्पॉट देशभर में कार्य कर रहे हैं. उन्होंने आने वाले समय में इस कार्यक्रम के तहत 250 जगहों पर 2500 से अधिक हॉट-स्पॉट लगाने का लक्ष्य रखा है.

9. एम-गवर्नेंस - एम-गवर्नेंस के माध्यम से कोई भी सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. जैसे कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस एम-गवर्नेंस से ही प्राप्त कर सकता है.

10. रोजगार प्रदान करना – इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देश में 18 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे. इलैक्ट्रोनिक्स विनिर्माण में देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा.

11.कागज मुक्त कामकाज – सरकार सरकारी दफ्तरों में कागज मुक्त कामकाज को लागू कर सभी कार्य इंटरनेट के माध्यम से कराना चाहती है.

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम को चुनौतियां –

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम से एक ओर देश विकास की तीव्रगति तो पकड़ेगा ही, किंतु सरकार के सामने इसके सफल रूप से लागू होने की बड़ी मुश्किलें हैं. हमारे देश में किसी भी महत्वाकांक्षी परियोजना के सफल रूप से लागू होने में रुकावट न आए, ये हो नहीं सकता. सर्वत्र इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सरकार को इतनी बिजली देनी होगी जिससे सभी लोग इस सुविधा का पूर्ण प्रयोग कर सकें. किंतु अभी बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो ये कार्यक्रम कैसे लागू होगा.

इसके बावजूद यदि डिजीटल इंडिया कार्यक्रम देश में सफल होता है तो देश विकसित देशों की कगार में खुद को साबित कर सकता है.

- सुश्री खुशबू वार्ष्णेय





रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21.07.2015 को आयोजित 120वीं बैठक के दृश्य















रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21.07.2015 को आयोजित 120वीं बैठक के दृश्य















लालबहादुर शास्त्री

(जन्म: 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय - मृत्यु: 11 जनवरी 1966 ताशकन्द)

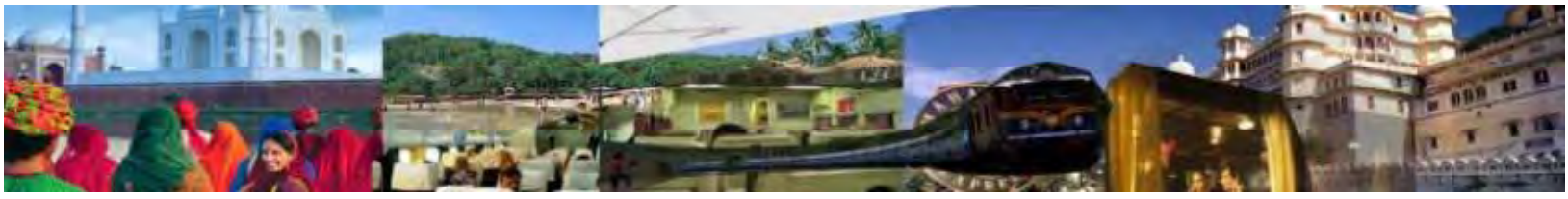
लालबहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमन्त्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्युपर्यन्त लगभग अठारह महीने भारत के प्रधानमन्त्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा।

लालबहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगलसराय (उत्तर प्रदेश) में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे अत: सब उन्हें मुंशीजी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक (क्लर्क) की नौकरी कर ली थी। लालबहादुर की माँ का नाम रामदुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लालबहादुर को परिवार वाले प्यार में नन्हें कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हें अठारह महीने का हुआ दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उनकी माँ रामदुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्ज़ापुर चली गयीं। कुछ समय बाद उसके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हें की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी माँ का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चन्द्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से **शास्त्री** की उपाधि मिलते ही प्रबुद्ध बालक ने जन्म से चला आ रहा जातिसूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिये हटा दिया और अपने नाम के आगे 'शास्त्री' लगा लिया। इसके पश्चात् शास्त्री शब्द लालबहादर के नाम का पर्याय ही बन गया।

1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता शास्त्री से उनके छ: सन्तानें हुईं, दो पुत्रियाँ-कुसुम व सुमन और चार पुत्र-हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक।



संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् वे भारत सेवक संघ से जुड़ गये और देशसेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्रीजी सच्चे गान्धीवादी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आन्दोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणामस्वरूप उन्हें कई बार जेल में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आन्दोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन उल्लेखनीय हैं।





दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिन्द फौज को "दिल्ली चलो" का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भाँपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अँग्रेजों को "भारत छोड़ो" व भारतीयों को "करो या मरो" का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गये। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्रीजी ने इलाहाबाद पहुँचकर इस आन्दोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक **"मरो नहीं, मारो!"** में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रान्ति की दावानल को पूरे देश में प्रचण्ड रूप दे दिया। पूरे ग्यारह दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आन्दोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गये।



शास्त्रीजी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पण्डित गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टण्डनजी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरूजी के साथ उनकी निकटता बढी।

इसके बाद तो शास्त्रीजी का कद निरन्तर बढता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढियाँ चढते हुए वे नेहरूजी के मंत्रिमण्डल में गृहमन्त्री के प्रमुख पद तक जा पहुँचे। और इतना ही नहीं, नेहरू के निधन के पश्चात भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री भी बने।

प्रधान मंत्री

उनकी साफ सुथरी छवि के कारण ही उन्हें 1964 में देश का प्रधानमन्त्री बनाया गया। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धान्तिक न होकर पूर्णत: व्यावहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे।

निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाये तो शास्त्रीजी का शासन काल बेहद कठिन रहा। पूँजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश पर आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर सायं 7.30 बजे हवाई हमला कर दिया। परम्परानुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मन्त्रिमण्डल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमन्त्री उस बैठक में कुछ देर से पहुँचे। उनके आते ही विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ। तीनों







प्रमुखों ने उनसे सारी वस्तुस्थिति समझाते हुए पूछा: "सर! क्या हुक्म है?" शास्त्रीजी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया: "आप देश की रक्षा कीजिये और मुझे बताइये कि हमें क्या करना है?"

शास्त्रीजी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और **जय जवान-जय किसान** का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी।



भारत पाक युद्ध के दौरान ६ सितम्बर को भारत की १५वी पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेत्तृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले का डटकर मुकाबला किया। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। इस हमले में खुद मेजर जनरल प्रसाद के काफिले पर भी भीषण हमला हुआ और उन्हें अपना वाहन छोड़ कर पीछे हटना पड़ा। भारतीय थलसेना ने अपनी दोगुनी शक्ति से प्रत्याक्रमण करके बरकी गाँव के समीप नहर को पार करने मे सफलता अर्जित की। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुँच गयी। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिये कुछ समय के लिये युद्धविराम की अपील की।

आखिरकार रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्रीजी पर जोर डाला गया। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमेशा उनके साथ जाने वाली उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को बहला फुसलाकर इस बात के लिये मनाया गया कि वे शास्त्रीजी के साथ रूस की राजधानी ताशकन्द न जायें और वे भी मान गयीं। अपनी इस भूल का श्रीमती ललिता शास्त्री को मृत्युपर्यन्त पछतावा रहा। जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्रीजी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर हैं परन्तु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज़ मंजूर नहीं। काफी जद्दोजहद के बाद शास्त्रीजी पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकन्द समझौते के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करा लिये गये। उन्होंने यह कहते हुए हस्ताक्षर किये थे कि वे हस्ताक्षर जरूर कर रहे हैं पर यह जमीन कोई दूसरा प्रधानमन्त्री ही लौटाएगा, वे नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ान के साथ युद्धविराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घण्टे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गयी। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्रीजी की मौत हृदयाघात के कारण हुई थी? कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को ही मानते हैं।

शास्त्रीजी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिये आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरान्त वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।







डेंगू

लक्ष्ण एवं बचाव

डेंगू की बीमारी एक संक्रामक बीमारी की तरह फैलती जा रही है। यह एक जानलेवा बुखार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन नें भी अब इस बीमारी को संक्रामक माना है। अब तक यह 126 से भी अधिक देशों में फैल चुका है। डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित एशिया और अफ्रिका के देश हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पूरे विश्व में 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। डेंगू का बुखार सबसे तेजी से फैलता है। यह बुखार एडीज मच्छर के काटने से होता है। इस बुखार को हड्डी तोड़ के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों और बुजुर्गों में डेंगू का बुखार ज्यादा खतरनाक होता है। वैदिक वाटिका आपको डेंगू की बीमारी के लक्षणों व इसके प्रकार के बारे में बताएगा साथ ही कैसे इस खतरनाक बीमारी से बचना है इस बात की भी जानकारी देगा।



डेंगू के पनपने के कारण

डेंगू मच्छर के फैलने की मुख्य वजह है पानी का टैंक, टायर, गमले, और घर के आस-पास जमा गंदा पानी। इसलिए चिकित्सक घर और घर के आसपास पानी न जमने की सलाह देते हैं। यदि सही समय पर इस बीमारी का इलाज न हुआ तो यह बुखार डेंगू शाक सिंड्रोम में बदल जाता है जो कि जानलेवा होता है।

डेंगू के प्रकार

डेंगू वायरस 4 प्रकार का होता है। डेंगू वायरस डी-1, डी-2, डी-3 और डी-4 से फैलता है। ये बीमारी केवल मच्छर के काटने से ही फैलती है जो कि दिन में काटता है। और डेंगू कभी भी किसी मरीज से दूसरे को नहीं फैलता है।

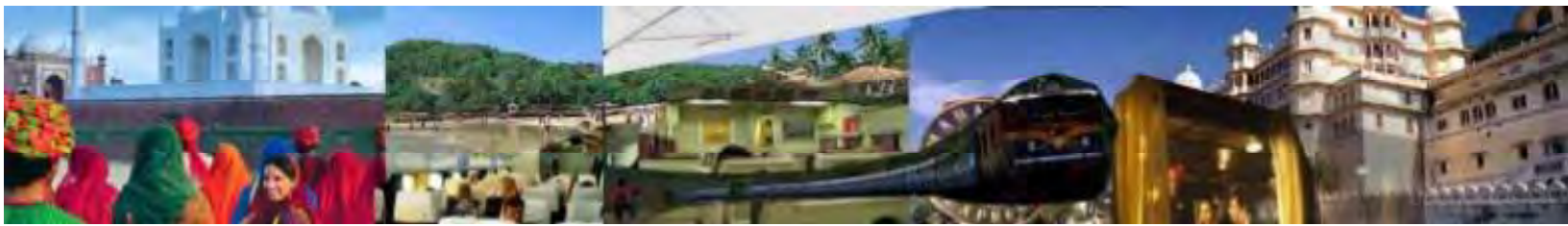
डेंगू के लक्षण

इसका पहला लक्षण है मरीज को तेज का बुखार आना और अधिक ठंड लगना। यह लक्षण शुरूआत के 5 दिनों तक रह सकता है।

दूसरा लक्षण है कमर व जोड़ों में दर्द होना। सिरदर्द व थकावट लगना और शरीर में कमजोरी महसूस होना आदि।

डेंगू का तीसरा लक्षण है गले में खराश, हल्की खांसी और उल्टी का होना।

चौथा लक्षण शरीर पर लाल रंग के दानों का होना व आंखों के पीछे दर्द होना।





डेंगू का हेमोरेजिक बुखार में बदलना

इस बुखार के हेमोरेजिक बुखार में बदलने की अधिक संभावना होती है। हेमोरेजिक बुखार में इंसान के मसूड़ों, नाक, दांत आदि से खून निकलने लगता है। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। उल्टी व दस्त में खून का आना भी इस बुखार के लक्षण हैं यदि समय पर इलाज न मिले तो रोगी की जान तक चली जाती है।

क्या है डेंगू से बचने का तरीका

1. डेंगू बुखार का पता लगते ही मरीज को अच्छी तरह से आराम करना चाहिए

2. जितना हो सके पानी का सेवन करें साथ ही फलों का रस, नारियल का पानी आदि बार-बार लें।

3. खाली बर्तनों को हमेंशा उल्टा करके रखें।

4. कचरे के डिब्बे को ढ़ककर रखना चाहिए।

5. घर की खिड़की के पास तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। यह मच्छरों को पनपने से रोकने में सहायक होता है।





6. मच्छरों को भगाने के लिए कपूर का इस्तेमाल करें। घर के दरवाजों और खिड़कियों को बंद करके कपूर को जलाएं और 20 मिनट तक कमरे को बंद रखें।

7. पपीते के पत्तों को पीसकर पीने से डेंगू कुछ हद तक सही हो सकता है क्योंकि यह प्लेटलिटस की संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है।

8. गिलो के पत्तों का काड़ा बनाकर पीने से डेंगू जैसे बुखार पर काबू पाया जा सकता है।

9. आम का रस या मेंगो ड्रिंक को लेने से शरीर में प्लेटलिटस की कमी को पूर किया जा सकता है।

डेंगू बुखार खतरनाक जरूर है पर लाइलाज नहीं है। इस बीमारी से बचने का तरीका केवल जानकारी के अनुसार उसका पालन करना है। इस बुखार की अभी कोई दवा नहीं बनी है पर हाल ही में हुए प्रकाशित एक पत्रिका साइंस के अनुसार डेंगू से बचने के लिए एक दवा को विकसित किया गया है। बैंडरबिट यूनिवर्सिटी के डा. जेम्स के अनुसार यह दवा डेंगू वायरस को रोकने के साथ इसको बढ़ने से भी रोकेगी।





रेलवे को समर्पित कुछ पंक्तियां

जन-गण-मन की भाषा हिंदी,
मेहनतकश की भाषा हिंदी.
देश जोड़ती बिना थके जो,
प्रिय रेल की भाषा हिंदी.

मन को बांधे रौनक लाए,
खुशियों की परिभाषा हिंदी.
संस्कारों को नित्य सहेजे
भारत की अभिलाषा हिंदी.

धन्य रेलवे, जन-गण वाहिनी,
जिसके तट गंगा सी हिंदी
हृदय प्रफुल्लित, मस्तक ऊंचा,
देख शिखर पर गर्वित हिंदी.

- श्री तरूण विजय,
माननीय संसद सदस्य एवं
सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति

रेल का दर्द

कहते हैं, प्रांत प्रदेश क्षेत्र जोड़ती रेल चली,
और भाषाओं के भाव की इक लंबी बेल बढ़ी.

मानें, रेल की भाषा, मेल की भाषा, हिंदी भाषा,
पर, प्रदेश न चाहें, क्षेत्र न चाहें, हिंदी भाषा

प्रांत और पुलिस रेल की, मानें अपनी भाषा,
कैसे रेल चले, संग लेकर यह मेल की भाषा.

सभी क्षेत्र, न्यायालय की है अपनी निज भाषा,
चाहें, रेल अपनाए, उन सबकी भी भाषा.

क्या रेल अकेली बाइस भाषा जान सकेगी,
एक जुबां से सभी जुबानों को बांध सकेगी.

सम्मानजनक और समृद्ध हैं सारी भाषाएं,
एक सूत्र-भाषा में कब गुथ सकेंगी ये भाषाएं.

सब प्रांत बीच संपर्क हेतु कब होगी इक भाषा,
और संविधान की कब पूरी होगी यह आशा.

आओ सोचें और विचारें, बातें अपने देश की,
जग वालों को बतला दें भाषा अपने देश की.

तभी चलेगी, सही चलेगी रेल, प्रेम और सदभाव की
पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, नदी बहेगी भाषाई भाव की.

- श्री सत्येंद्र सिंह,
पूर्व वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी





राजभाषा पखवाडा- 2015

प्रत्येक वर्ष की भांति, इस वर्ष भी रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में दिनांक 14 से 24 सितंबर, 2015 तक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया. इस अवधि के दौरान, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिसमें बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया.

राजभाषा पखवाड़े की शुरूआत 'हिंदी दिवस' के दिन अर्थात 14 सितंबर, 2015 को माननीय रेल मंत्री जी का हिंदी दिवस संदेश जारी करने से की गई. इसके साथ-साथ यह भी बड़े हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 14 सितंबर, 2015 को हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के **माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी** द्वारा रेल मंत्रालय को **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना** के अंतर्गत तृतीय **पुरस्कार** से सम्मानित किया गया, जिसे **अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड श्री ए.के. मित्तल** ने प्राप्त किया.

राजभाषा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 14.09.2015 से 24.09.2015 तक बोर्ड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में संपर्क अभियान चलाया, जिसमें सरकारी काम-काज हिंदी में करने में आ रही कठिनाईयों का निवारण किया गया.



14.09.2015 को निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अधिकारी/कर्मचारी

इसी दिन **निबंध, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता** का आयोजन किया गया, जिसमें रिकार्ड संख्या में बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया.

16.09.2015 को **वाक् प्रतियोगिता** एवं **शब्द ज्ञान प्रतियोगिताएं** आयोजित की गईं.



16.09.2015 को आयोजित वाक् प्रतियोगिता का एक दृश्य.

17 सितंबर, 2015 को बोर्ड कार्यालय के एम.टी.एस. एवं इसके समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के लिए **सुलेखन प्रतियोगिता** का आयोजन किया गया, ताकि उनकी भी भागीदारी बनी रहे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या में कर्मचारियों ने अपनी सहभागिता की.

21 सितंबर, 2015 को **हिंदी प्रश्न मंच** का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा हिंदी के साथ-साथ **हिंदी साहित्य तथा प्रमुख हिंदी साहित्यकारों** के बारे में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले 60 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप हिंदी साहित्य प्रदान किया गया. इस कार्यक्रम का मंच संचालन श्री प्रेमपाल शर्मा, सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक, रेलवे बोर्ड ने किया. इस लोकप्रिय कार्यक्रम में सदस्य कार्मिक महोदय ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.





22 सितंबर, 2015 को बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक एवं औद्यौगिकीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में कार्यरत वरिष्ठ हिंदी अधिकारी **डॉ. पूरनपाल** तथा हिंदी लेखक एवं साहित्य प्रेमी **श्री उमेश मेहता** ने क्रमश: 'राजभाषा नीति और हमारा दायित्व' तथा 'हिंदी लेखन को प्रोत्साहन एवं सरकारी कार्यालयों में नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग' पर अपने-अपने व्याख्यान दिए, जिसे प्रतिभागियों ने बड़ी तन्मयता से सुना.

23 सितंबर, 2015 को एक अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम '**अंताक्षरी**' का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया. सदस्य कार्मिक ने इस कार्यक्रम में भी शिरकत की तथा इस कार्यक्रम में एक नज़्म सुनाकर प्रतिभागियों/श्रोतागणों की हौसला हफजाई की.

इसके अलावा, इसी दिन '**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रसार में हिंदी की भूमिका**' विषय पर **एक संगोष्ठी** का आयोजन भी किया गया, जिसमें रेलवे बोर्ड में कार्यरत श्री हर्षदीप श्रीवास्तव, निदेशक (सिगनल) एवं श्री मोहित लीला, निदेशक (निर्माण) ने अपने-अपने प्रलेख प्रस्तुत किए. तत्पश्चात् प्रतिभागियों ने चर्चा के दौरान अपनी-अपनी बात रखी.

अंत में 24.09.2015 को राजभाषा पखवाड़ा-2015 का पुरस्कार वितरण एवं समापन कार्यक्रम एक भव्य समारोह के रूप में आयोजित किया गया. **श्रीमती रागिनी यचुरी, कार्यपालक निदेशक (औ.सं.)** द्वारा विशिष्ट अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे **माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा** तथा **अध्यक्ष रेलवे बोर्ड** एवं **बोर्ड के अन्य सदस्यों** द्वारा



पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा आर्शीवचन देते हुए.

दीप प्रज्ज़वलन के साथ किया गया. इस अवसर पर रंगोली ग्रुप के कलाकारों द्वारा प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया गया. तत्पश्चात **सदस्य कार्मिक महोदय** ने स्वागत संबोधन दिया **माननीय रेल राज्य मंत्री** ने अपने संबोधन में राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित किए गए सभी कार्यक्रमों की सराहना की और राजभाषा हिंदी में कामकाज बढ़ाने का भी आह्वान किया. पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को **अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड** के कर-कमलों द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र से पुरस्कृत किया गया.

तत्पश्चात, एक भव्य **कवि सम्मेलन** का आयोजन किया गया, जिसमें डॉ. अशोक चक्रधर, डॉ. सुरेन्द्र शर्मा, श्री प्रवीण शुक्ल, श्री महेश गर्ग बेधड़क, सुश्री सरिता शर्मा तथा श्री दिनेश रघुवंशी जैसे जाने-माने कवियों ने कविता पाठ किया, जिसका श्रोता-गणों ने खूब आनंद उठाया. इसी बीच **सदस्य यांत्रिक श्री हेमंत कुमार 'धाकड़'** ने भी अपनी कविताओं से श्रोतागणों को लुभाया तथा इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई.

इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन **श्री के.पी. सत्यानंदन, निदेशक (राजभाषा)** द्वारा किया गया तथा इसका समापन **श्री रिसाल सिंह उप निदेशक (राजभाषा)** के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुआ.





राजभाषा पखवाड़ा- 2015 के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दृश्य















राजभाषा पखवाड़ा- 2015 के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दृश्य















राजभाषा पखवाड़ा- 2015 के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दृश्य















रेल अंचलों में राजभाषा से संबंधित गतिविधियां



पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में महाप्रबंधक श्री रमेश चन्द्रा का स्वागत करते हुए मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री नवीन चोपड़ा



पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर की राजभाषा सरिता पत्रिका का विमोचन करते हुए महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारीगण



पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में आयोजित अधिकारी प्रश्न मंच कार्यक्रम में मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री नवीन चोपड़ा तथा विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारीगण.





रेल अंचलों में राजभाषा से संबंधित गतिविधियां



दि. 10.07.15 को आयोजित पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री ओ.पी.अग्रवाल तथा साथ में बैठे हुए उप मुख्य राजभाषा अधिकारी सह अध्यक्ष, रेलवे भर्ती सेल श्री ए. के. सिंह, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री वी. डुंगडुंग व राजभाषा अधिकारी श्री ध्रुव कुमार श्रीवास्तव



पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजीव मिश्र से लखनऊ मंडल का सामूहिक पुरस्कार प्राप्त करते अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री सुरेश कुमार सपरा, साथ में मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री ओ. पी. अग्रवाल



दि. 23.07.15 को आयोजित क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक, पू.उ.रेलवे श्री राजीव मिश्र (बीच में), मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री ओ.पी.अग्रवाल (दायीं ओर) एवं (बायीं ओर) वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री प्रभु नारायण राय और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण श्री श्याम लाल वर्मा





रेल अंचलों में राजभाषा से संबंधित गतिविधियां

मध्य रेलवे, पुणे मंडल में अधिकारियों की हिंदी डिक्टेशन कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री मिलिन्द देऊस्कर, अपर मंडल रेल प्रबंधक, पुणे और डॉ.(श्रीमती) विभावरी गोरे, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी तथा डॉ. पुलकेश कुमार, सहायक कार्मिक अधिकारी, पुणे.





पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में आयोजित राजभाषा सप्ताह समारोह का दृष्य

28.05.2015 को पश्चिम रेलवे, मुंबई में आयोजित हिंदी कार्यशाला में प्रश्न–मंच प्रतियोगिता में प्रतिभागियों से प्रश्न पूछते हुए उप महाप्रबंधक राजभाषा







रेल अंचलों में राजभाषा से संबंधित गतिविधियां



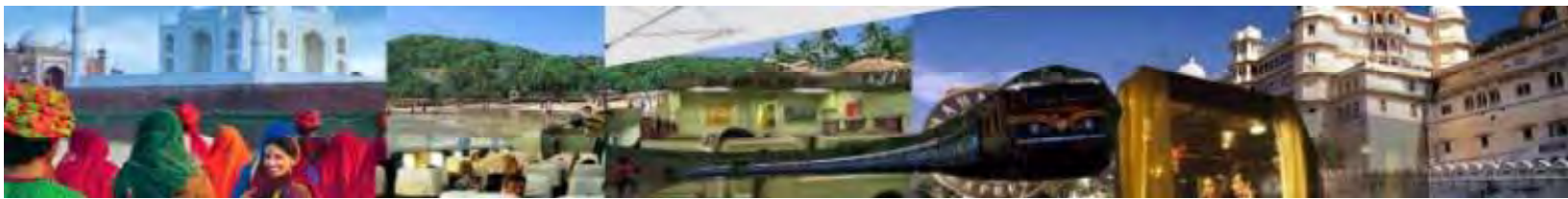
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई की दिनांक 30.04.2015 को आयोजित बैठक के दौरान वर्ष 2014-15 में राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नराकास के अध्यक्ष श्री एस.के. सूद, आयकर विभाग, मुंबई के अधिकारियों को राजभाषा शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए.



भंडार डिपो, उत्तर रेलवे, आलमबाग, लखनऊ में आयोजित गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में बोलते हुए उप मुख्य सामग्री प्रबंधक श्री आलोक अग्रवाल



हिंदी दिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर राजभाषा पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए अपर महाप्रबंधक श्री आर. डी. त्रिपाठी, मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री एस.के. कुलश्रेष्ठ, मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री अमित कुमार ब्रह्मो, उपमहाप्रबंधक राजभाषा श्री विपिन पवार तथा वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी (मुख्यालय) श्री राम प्रसाद शुक्ल.





रेल अंचलों में राजभाषा से संबंधित गतिविधियां

दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय में आयोजित 'राजभाषा पखवाड़ा' के दौरान अपर महाप्रबंधक मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा गृह मंत्री का संबोधन





दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय में आयोजित 'राजभाषा पखवाड़ा' के दौरान महाप्रबंधक पुरस्कार योजना के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए अपर महाप्रबंधक श्री उमेश सिंह

दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय में आयोजित 'राजभाषा पखवाड़ा' के दौरान तुलसीदास जयंती समारोह के अवसर पर गोस्वामीजी के चित्र पर फूल चढ़ाते हुए मुख्य अतिथि डॉ. शुभदा वांजपे



